E-mail
Fax/Speed Post

बिहार सरकार
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

आदेश

श्री सुधीर कुमार वर्मा, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, काशीचक (नवादा) सम्प्रति प्रभारी अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी, दाउदनगर, औरंगाबाद के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–275833 दिनांक–22.06.2016 के माध्यम से जिला पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक–536 दिनांक–12.06.13 द्वारा आरोप पत्र प्रपत्र 'क' प्राप्त हुआ। रोकड़ पुस्त के अंतः शेष राशि ₹ 2,96,298.52/–(दो लाख छियानवें हजार दो सौ अनठानबे रूपयें बावन पैसा) का प्रभार अपने प्रतिस्थानी को नहीं सौपने, रोकड़पुस्त के संधारण का पर्यवेक्षण एवं देखरेख सही तरीके से नहीं करने, सरकारी राशि के गबन/दुर्बिनियोग एवं अनियमितता बरतने के आरोप में, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के अधीन जाँच हेतु विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है। श्री वर्मा के विरूद्ध जाँच हेतु आरोप संलग्न आरोप–पत्र में अंकित हैं तथा जिस अभिलेख के आधार पर आरोप निर्धारित किए गए हैं, उसकी विवरणी भी अनुलग्नक में विनिर्दिष्ट है।

2. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु उप निदेशक कल्याण, मगध प्रमंडल, गया को संचालन पदाधिकारी एवं जिला कल्याण पदाधिकारी, नवादा को उपस्थापन पदाधिकारी घोषित किया जाता है।

3. श्री वर्मा से एतद् द्वारा अपेक्षित है कि वे अपना लिखित बचाव प्रतिवेदन संचालन पदाधिकारी को पत्र प्राप्ति के अधिकतम 10 कार्य दिवस के अन्दर निश्चित रूप से समर्पित कर दें तथा जाँच में यह भी बतायें कि क्या वे स्वयं अपनी ओर से मामला प्रस्तुत करना चाहते हैं या किसी अन्य सरकारी सेवक के माध्यम से।

4. श्री वर्मा को सूचित किया जाता है कि विभागीय जाँच उन्हीं आरोपों या अभिकथनों के संबंध में की जाएगी जिन्हें उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। उन्हें अभियोगों के विवरण में दिए गए हर अभिकथन और आरोपों को विशिष्ट रूप से या तो स्वीकार करना है या अस्वीकार। जिन–जिन अभिकथनों को वे विशिष्ट रूप से अस्वीकार नहीं करेगें, वे स्वीकृत समझे जायेंगे।

5. श्री वर्मा को यह सूचित जाता है कि यदि उनका बचाव प्रतिवेदन उपर कंडिका–3 में उल्लिखित समय–सीमा या उसके पूर्व प्राप्त नहीं होगा तो जाँच एकपक्षीय निष्पादित कर ली जाएगी।

6. श्री वर्मा का ध्यान बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अधीन यदि कोई सरकारी सेवक सरकार के अधीन अपने नियुक्ति एवं संबंधित विषयों में अपने स्वार्थो को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभावशाली व्यक्तियों के माध्यम से अपने किसी उच्चस्थ पदाधिकारी पर न तो दबाव डालेंगे और न डालने की कोशिश करेंगे। यदि कार्यवाही में विचारणीय किसी बात के संबंध में उनकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पैरवी की जाती है और वह पैरवी उनकी प्रेरणा से की गई तो नियमावली के नियमों के अतिक्रमण के लिए उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

7. प्रस्ताव में विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

8. इस आदेश की प्राप्ति की सूचना दी जाय।

28/9/16

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–3जी / (आरोप)–अराज0–20–06 / 2016– 2561 पटना, दिनांक– 28·9·16

प्रतिलिपि–आरोप–पत्र एवं साक्ष्य (छाया प्रति) के साथ निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1– उप निदेशक कल्याण–सह–संचालन पदाधिकारी, मगध प्रमंडल, गया ।

2– जिला कल्याण पदाधिकारी–सह–उपस्थापन पदाधिकारी, नवादा ।

3– उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार, पटना।

4– जिला पदाधिकारी, नवादा।

5– जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद।

6– अवर सचिव (स्था0) अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

7– श्री सुधीर कुमार वर्मा, तत्कालीन प्र0वि0पदा0, सम्प्रति प्रभारी अनुमण्डल कल्याण पदाधिकारी, दाउदनगर, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/9/16

सरकार के संयुक्त सचिव।

Kiran/E/Aadesh

परिशिष्ट–'क'

(नियम–17 (3) तथा विनियम 3 द्रष्ट्व्य)

प्रपत्र–'क'

1. सरकारी सेवक का नाम– श्री सुधीर कुमार वर्मा
2. पदनाम – तत्कालीन प्र0 विकास पदा0 काशीचक (19.09.2012 से 6.11.2012)
3. पदस्थापन स्थान – प्रभारी अनुमण्डल कल्याण पदाधिकारी, दाउदनगर, औरंगाबाद।
4. समूह – बी (B)
5. वेतन बैंड / ग्रेड पे –
6. जन्म तिथि – 08.12.1959
8. सेवानिवृति की तिथि – 31.12.2019
9. स्थायी पत्ता – मुहल्ला–कंपनी सराय, रौजा रोड, सासाराम, पो0–सासाराम, जिला–रोहतास

क्र0	आरोप	आरोप का सारांश	साक्ष्य तालिका
1	2	3	4
1	रोकड़पुस्त के संधारण एवं सरकारी राशि के गबन / दुर्विनियोग एवं अनियमितता बरतना।	आपके द्वारा दिनांक–06.11.2012 को काशीचक प्रखंड के रोकड़पुस्त का प्रभार अपने प्रतिस्थानी को सौपा गया। आपके द्वारा दिनांक–18.10.2012 को रोकड़पुस्त के अन्तशेष की राशि 6116656.51 / – (एकसठ लाख सोलह हजार छः सौ छप्पन रू0 एकावन पैसे) रू0 अंकित किया गया है एवं 19.10.2012 से 05.11.2012 तक कोई लेन–देन नहीं करने का प्रमाण–पत्र रोकड़पुस्त में अंकित किया गया है। परन्तु, आपके द्वारा दिनांक–06.11.2012 को अपने प्रतिस्थानी को मात्र 5820357.99 / –(अन्ठावन लाख बीस हजार तीन सौ सन्तावन रू0 निन्यानवें पैसे) रू0 का प्रभार सौपा गया है। इस प्रकार आपके द्वारा 296298.52 / –(दो लाख छियान्वे हजार दो सौ अन्ठानवें रू0 बावन पैसे) रू0 का प्रभार अपने प्रतिस्थानी को नहीं सौपा गया है। रोकड़पुस्त के संधारण का पर्यवेक्षण एवं देखरेख सही तरीके से नहीं करने के कारण राशि का गवन / अनियमितता, के मद्देनजर उक्त 296298.52 / – (दो लाख छियान्वे हजार दो सौ अन्ठानवें रू0 बावन पैसे) की राशि आपसे वसुली करने का मामला बनता है। साथ ही आपका यह कृत्य वित्तीय नियमों की अवहेलना, कार्यालय में नियंत्रण का अभाव तथा स्पष्टीकरण का जवाब ससमय नहीं देने के कारण स्वेच्छाचारिता एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना का द्योतक है।	1. उप विकास आयुक्त, नवादा के पत्रांक– 1456 / वि0 दिनांक –26.12.2012 (पृष्ठ–01) 2. काशीचक प्रखंड के सामान्य रोकड़पुस्त दिनांक –18.10.2012 की छाया प्रति। (पृष्ठ–01) 3. काशीचक प्रखंड के रोकड़पुस्त दिनांक–06.11.2012 की छाया प्रति। (पृष्ठ–02) 4. जिला विकास शाखा, नवादा के ज्ञापांक–77 / वि0 दिनांक–06.02.2013 की छायाप्रति। (पृष्ठ–01)

23.9.15

सचिव।

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

समाहरणालय, नवादा।

(जिला लेखा शाखा)

पत्रांक 912 / जि0ले0

प्रेषक — जिला लेखा पदाधिकारी,
नवादा।

सेवा में,
उप विकास आयुक्त,
नवादा।

नवादा, दिनांक 07-11-2012

विषय :— काशीचक प्रखण्ड के रोकड़ पुस्त एवं लेखा पंजी की जाँच के संबंध में।

प्रसंग : भवदीय पत्रांक 1182 / वि0 दिनांक 19.10.2012

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि भवदीय निदेश के आलोक में काशीचक प्रखंड के सामान्य रोकड़ पुस्त, सहायक रोकड़पुस्त एवं लेखा पंजी, बैंक पंजी के आय व्यय की प्रविष्टि की जाँच 01.04.2011 से की गयी। जाँच के क्रम में बिन्दुवार तथ्य निम्न प्रकार है–

1 काशीचक प्रखंड में संधारित बैंक पंजी के पृ0सं0– 189 पर सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक के खाता संख्या 04 की जाँच के क्रम में दिनांक 06.01.2012 को अंतशेष के रूप में 1979452=16 (उन्नीस लाख उनासी हजार चार सौ बावन रूपये सोलह पैसे) की प्रविष्टि पाई गयी। दिनांक 21.01.2012 को उस खाते से 1952160=00 (उन्नीस लाख बावन हजार एक सौ साठ रूपये) व्यय की गयी है। इस प्रकार उक्त अंतशेष की राशि से व्यय की गई राशि को घटाने पर दिनांक 05.01.2012 को अंतशेष 27292=16 (सताइस हजार दो सौ बिरानवे रूपये सोलह पैसे) होता है, परन्तु तात्कालिन नाजिर के द्वारा बैंक पंजी के पृ0सं0–190 पर अंतशेष की राशि में Overwriting करते हुए 487292=16 (चार लाख सतासी हजार दो सौ बिरानवे रूपये सोलह पैसे) अंतशेष की प्रविष्टि बैंक पंजी में की गयी है।

दिनांक 04.02.2012 को कन्या विवाह मद के मो0 5000=00 (पाँच हजार) रू0 की दर 92 लाभुकों को 460000=00 (चार लाख साठ हजार) रू0 की राशि का विभिन्न चेक संख्या द्वारा चेक निर्गत किया गया है। दिनांक 07.08.2012 को चेक संख्या 74282 दिनांक 16.06.12 द्वारा 50700=00 (पचास हजार सात सौ) रू0 की आय की प्रविष्टि पायी गयी है। उसी तिथि को चेक संख्या 14909 दिनांक 07.08.12 द्वारा 150000=00 (एक लाख पचास हजार) रू0 का चेक निर्गत करने के पश्चात् अंतशेष की राशि 27992=00 (सताइस हजार नौ सौ बिरानवे) रू0 बैंक पंजी में दर्शाया गया है। जबकि मेरे द्वारा बैंक पंजी के जाँच के क्रम में आय–व्यय की राशि का समायोजन करने के पश्चात् दिनांक 07.08.12 को अंतशेष की राशि मो0 532007=84 (पाँच लाख बत्तीस हजार सात रूपये चौरासी पैसे) होता है। पासबुक में उक्त खाते में 130846=00 (एक लाख तीस हजार आठ सौ छियालीस) रू0 की राशि अंतशेष के रूप में दर्ज है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया लेखा संधारण में तात्कालिन नाजिर के द्वारा बैंक पंजी के अंतशेष राशि में हेरा फेरी करते हुए अंतशेष की राशि को बढ़ा दी गयी है। जिसके कारण अंतशेष की राशि (–) में आ गयी। **(बैंक पंजी की छाया प्रति पृ0सं0 1 से 9 तक संलग्न)**

2. BRGF के सहायक रोकड़ पंजी के पृष्ठ संख्या 28 पर दिनांक 23.03.2012 को भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा, नवादा का अवशेष राशि 99656=00 (निनानवे हजार छः सौ छप्पन) रू0 पंजाब नेशनल बैंक, शाहपुर के खाता संख्या 67985 के चेक संख्या 260450 दिनांक 01.02.2012 के द्वारा स्थानांतरित किया गया, जो रोकड़ पंजी के **पृष्ठ संख्या 28** पर दिनांक 23.03.2012 को Receipt side में प्रविष्टि की गई है। जबकि उक्त राशि का एक खाता से दूसरे खाता में Debit & Credit होना चाहिए था, परन्तु सहायक रोकड़ पंजी में इस राशि को दोबारा प्रविष्टि करने से आय की राशि में बढ़ोत्तरी हो गयी है। जो गलत है। (BRGF **रोकड़ पंजी के छाया प्रति पृ0सं0**–10 पर संलग्न)

3. बिल बुक 11–12 एवं 12–13 से प्राप्त आय का मिलान सहायक रोकड़ पंजी एवं बैंक पंजी की गयी है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं पायी गयी है एवं नाजिर रसीद से प्राप्त आय का मिलान कर लिया गया है। जिसमें कोई त्रुटि नहीं पायी गयी है।

4 Oriental Bank of Commerce शाखा, वारसलीगंज खाता संख्या 15232011000355 से दिनांक 26.07.2012 को चेक संख्या 768062,63 एवं 64 से क्रमशः 100000=00 (एक लाख), 200000=00 (दो लाख) एवं 200000=00 (दो लाख) रू0 इस प्रकार कुल 500000=00 (पाँच लाख) रू0 का चेक निर्गत किया गया है, परन्तु सहायक रोकड़ पंजी के पृ0सं0–182 में दिनांक 27.06.12 से 18.09.12 तक आय–व्यय शून्य दिखाया गया है। परन्तु उक्त बैंक के द्वारा दिनांक 03.08.2012 एवं 31.08.2012 को उक्त राशि का भुगतान बैंक द्वारा कर दिया गया है। इस कारण पासबुक में राशि 48405=00 (अड़तालीस हजार चार सौ पाँच) रू0 अवशेष के रूप में पायी गयी है परन्तु बैंक पंजी में 533320=00 (पाँच लाख तेतीस हजार तीन सौ बीस) रू0 अवशेष राशि दिखाया गया है जबकि मेरे द्वारा उक्त राशि का समायोजन करने के पश्चात् बैंक पंजी में वास्तविक राशि 33320=00 (तेतीस हजार तीन सौ बीस) रू0 अंतशेष के रूप में होनी चाहिए थी। जो लेखा संधारण के त्रुटियों को दर्शाता है। **(चेक बुक एवं Oriental Bank का Bank Scroll के छाया प्रति पृ0सं0 11 से 13 पर संलग्न)**

5. दिनांक 18.09.12 को स्टाफ अग्रिम के रूप में नाजिर द्वारा सामान्य रोकड़ पंजी में 1206156=00 (बारह लाख छः हजार एक सौ छप्पन) रू0 की प्रविष्टि की गयी है, परन्तु अग्रिम पंजी के जाँच के क्रम में पृ0सं0- 30 पर 1306156=00 (तेरह लाख छः हजार एक सौ छप्पन) रू0 की प्रविष्टि पायी गयी है। जिसके कारण अग्रिम मद में 100000=00 (एक लाख) रू0 की राशि कम हो गयी। **(अग्रिम पंजी की छाया प्रति पृ0सं0 14 पर संलग्न)**

6. PNB शाहपुर के खाता संख्या 67994 में दिनांक 06.09.12 को अवशेष राशि 176983=00 (एक लाख छियत्तर हजार नौ सौ तेरासी) रू0 है जबकि बैंक पंजी के पृ0सं0 -102 पर दिनांक 06.09.2012 को चेक संख्या 685045 के द्वारा 180000=00 (एक लाख अस्सी हजार) रू0 का चेक निर्गत करने के उपरान्त अवशेष 20444=00 (बीस हजार चार सौ चौआलीस) रू0 दर्शाया गया है। उक्त राशि की निकासी बैंक पासबुक में नहीं किया गया है। मेरे द्वारा बैंक पंजी की जाँच के क्रम में 180000=00 (एक लाख अस्सी हजार)रू0 की राशि को पासबुक के शेष राशि से घटाने पर शेष --3017=00 (**माइनस** तीन हजार सतरह) हो जाता है।

7. दिनांक 18.09.12 को सामान्य रोकड़ बही के पृष्ट संख्या- 173 पर विभिन्न बैंको के खाता में अवशेष राशि का योग 2537878=61 (पच्चीस लाख सैतीस हजार आठ सौ अठतहर रूपये एकसठ पैसे) रू0 अंकित किया गया है। बैंक खाता अग्रिम, अभिश्रव के रूप में कुल राशि 6382036=16 (तीरसठ लाख बेरासी हजार छतीस रूपये सोलह पैसे) नाजिर के द्वारा दर्शाया गया है। मेरे द्वारा सभी बैंक खाता, अग्रिम एवं अभिश्रम पंजी में अंकित राशि की जाँच करने के पश्चात् बैंक खाता, अग्रिम एवं अभिश्रव मद में कुल राशि 5832036=20 (अन्ठावन लाख बत्तीस हजार छतीस रूपये बीस पैसे) होता है एवं आय के रूप में दो बार दर्शायी गयी राशि 99656=00 रू0 को योग करने पर 5931692=20 (उनसठ लाख एकतीस हजार छः सौ बानवे रूपये बीस पैसे) होता है। सामान्य रोकड़ बही के अवशेष राशि 6083828=51 (साठ लाख तेरासी हजार आठ सौ अठाइस रूपये एकावन पैसे) में उक्त राशि को घटाने पर एकहरी तालः में 152136=31 (एक लाख बावन हजार एक सौ छतीस रूपये एकतीस पैसे) शेष होना चाहिए। जबकि नाजिर के द्वारा सामान्य रोकड़ पंजी में 298207=65 (दो लाख अनठानवे हजार दो सौ सात रूपये पैंसठ पैसे) अधिक राशि के रूप में दिखाया गया है, जो सही नहीं है। (दिनांक 18.09.12 को सामान्य रोकड़ पंजी एवं बैंक पंजी के जाँच के आधार पर बैंक खाते, अभिश्रव एवं अग्रिम में अवशेष राशि की विवरणी प्रति पृ0सं0 15 एवं 16 पर संलग्न)

अतएव उपर्युक्त परिवेक्ष्य में कार्यालय प्रखण्ड में संधारित रोकड़ बही के जाँच के पश्चात् प्रथम दृष्टया में 152136=3। (एक लाख बावन हजार एक सौ छतीस रूपये एकतीस पैसे) की वित्तीय अनियमितता परिलक्षित होती है।

जाँच प्रतिवेदन आवश्यक कार्रवाई हेतु भवदीय की सेवा में समर्पित।

अनु0यथोपरि।

विश्वासभाजन
7/10/12
जिला लेखा पदाधिकारी
नवादा।

दिनांक 18.09.2012 को सामान्य रोकड़ पंजी में दिए गए प्रभार में अंकित राशि का बैंक पंजी, बैंक खाते, अग्रिम एवं अभिश्रव में से मिलान के पश्चात् अवशेष राशि का विवरणी।

बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक काशीचक	04	—532007=84
मध्य बिहार ग्रामीण बैंक काशीचक	3256	63661=36
भारतीय स्टेट बैंक वारिसलीगंज	53341	5280=85
मध्य बिहार ग्रामीण बैंक बिरनावा	845	81179=00
पंजाब नेशनल बैंक शाहपुर	26128	06=00
सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक, वारिसलीगंज	61	11879=00
मध्य बिहार ग्रामीण बैंक वारिसलीगंज	5554	53873=00
मध्य बिहार ग्रामीण बैंक काशीचक	5262	1272195=24
मध्य बिहार ग्रामीण बैंक काशीचक	5375	59178=00
पंजाब नेशनल बैंक शाहपुर	67994	20444=00
पंजाब नेशनल बैंक शाहपुर	68009	226364=00
पंजाब नेशनल बैंक शाहपुर	67985	6503=00
ओ0 बी0 सी0 वारिसलीगंज	355	533320=00
पंजाब नेशनल बैंक वारिसलीगंज	31067	86003=00
	योग	**1887878=61**
अभिश्रव		2474313=59
स्टाफ अग्रिम		1306156=00
विधान सभा चुनाव फरवरी 06		1700=00
अग्रिम विधान सभा चुनाव 06		6300=00
अग्रिम पंचायत उप चुनाव 06		700=00
अग्रिम विधान सभा चुनाव 10		62640=00
अग्रिम विधान सभा चुनाव पुलिस बल		53948=00
अग्रिम पंचायत उप चुनाव वाहन		38400=00
	योग	**3944157=59**
आय के रूप में दो बार दर्शाई गई राशि	कुल योग	5832036=20 +99656=00
सामान्य रोकड़ पंजी में दिनांक 18.09.12 को अवशेष राशि	योग	5931692=00
एकहरी ताला में शेष राशि		152136=31
	कुल योग	6083828=51

(५०)

बिहार सरकार
समाहरणालय, नवादा।
(जिला विकास शाखा)

पत्रांक 1456 /वि0

रामजी सिंह,
उप विकास आयुक्त,
नवादा।

जिला पदाधिकारी,
नवादा।

नवादा, दिनांक 26-12-12

विषय : प्रखंड विकास पदाधिकारी, काशीचक के प्रभार के संबंध में।
प्रसंग : जिला गोपनीय शाखा, नवादा क ज्ञापांक 3932 / गो0 दिनांक 23.12.2012

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासांगिक पत्र के संबंध में कहना है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, काशीचक द्वारा दिनांक 06.11.12 को रोकड़पुस्त के प्रभार का आदान--प्रदान कर लिया गया है। श्री राजेन्द्र प्रसाद, प्रधान लिपिक, जिला स्थापना शाखा, नवादा द्वारा काशीचक प्रखंड के नाजारत का प्रभार श्री मिथलेश कुमार, लिपिक को सौप दिया गया है। परन्तु उनके द्वारा रोकड़पुस्त में अंकित अभिश्रव एवं दो बैंक पासबुक का प्रभार अभी तक नहीं दिया गया है (छाया प्रति संलग्न)।

दिनांक 24.12.2012 काशीचक प्रखंड के रोकड़ पुस्त के अवलोकन से यह ज्ञात हुआ है कि रोकड़पुस्त के संधारण में गंभीर अनियमितता बरती गई है।

दिनांक 18.10.2012 को रोकड़पुस्त में अंतिम अवशेष मो0 61,16,656.51 (एकसठ लाख सोलह हजार छः सौ छप्पन रूपया एकावन पैसा) अंकित किया है। दिनांक 19.10.2012 से दिनांक 05.11.2012 तक कोई लेन--देन नहीं करने का प्रमाण पत्र रोकड़पुस्त में अंकित है। परन्तु, दिनांक 06.11.2012 को तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं तत्कालीन प्रखंड नाजिर द्वारा अपने प्रतिस्थानी को मात्र मो0 58,20,357.99 (अनठावन लाख बीस हजार तीन सौ सनतावन रूपया निनानवे पैसा) का प्रभार सौपा गाया है। इस प्रकार मो0 2,96,298.52 (दो लाख छियानवे हजार दो सौ अनठानवे रूपया बावन पैसा) का अन्तर पाया गया है।

उल्लेखनीय है कि काशीचक प्रखंड के रोकड़पुस्त के संधारण में पूर्व में बरती गयी गंभीर अनियमितता की शिकायत की जॉच जिला लेखा पदाधिकारी, नवादा द्वारा की गयी है। जॉच प्रतिवेदन के आधार पर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रस्तावित है। परन्तु, उसके बाद रोकड़पुस्त के संधारण में अनियमितता बरतने का मामला पुनः प्रकाश में आया है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर काशीचक प्रखंड की लेखा की गहन जॉच कराया जाना आवश्यक है।

अतः अनुरोध है कि इस मामले में तत्कालिन प्रखंड विकास पदाधिकारी, काशीचक एवं तत्कालिन प्रखंड नाजीर से कारण पृच्छा की मांग की जा सकती है।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन

उप विकास आयुक्त,
नवादा।

Vikash

Account of

	प्रारम्भ शेष :-		
1.	ग्रामीण 2515 स्व समान्य	6083828 : 51	6083828 : 51
2.	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार	—	—
3.	समेकित ग्रामीण रोजगार (सहायता)	—	—
4.	8884 विविध / इन्स / सुरक्षा / [illegible]	—	—
5.	विधायक / स्थानीय / पार्षद	—	—
6.	ग्रामीण 2225 कल्याण उप	—	—
7.	स्वास्थ्य केन्द्र / पारिवारिक लाभ	—	—
8.	उप / उप UP	—	—
9.	बैंक ब्याज मद	—	—
10.	2015 निर्वाचन / जनगणना / [illegible]	—	—
11.	जिला योजना	—	—
12.	2702 लघु सिंचाई	—	—
13.	[illegible] / [illegible] / [illegible]	—	—
14.	PMGY / PMGY UP	—	—
15.	NFBW योजना	—	—
16.	ग्रामीण 2505 NREP	—	—
17.	विधायक अनुदान	—	—
18.	ग्रामीण 2515 ग्राम पंचायत	—	—
19.	ग्रामीण 2225 स्वास्थ्य	—	—
20.	बीआरजीएफ अनुदान / [illegible] / [illegible]	—	—
21.	[illegible] / [illegible] / [illegible]	1637400 : 0	1637400
22.	पेंशन ग्रुप / [illegible]		
23.	चतुर्थ वित्त आयोग		
	दैनिक जोड़ :-	1637400 : 0	1637400 : 0
	कुल जोड़ :-	7721228 : 51	7721228 : 51

मो० सतहत्तर लाख इक्कीस हजार दो सौ अट्ठाईस रुपये इक्यावन पैसे मात्र

रोकड़पाल लेखापाल प्रखंड विकास पदाधिकारी

Account of 122

	18/10/20..		
1.	ग्रामीण 2515 स्व समान्य	—	243 : 51
2.	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार	—	शून्य
3.	समेकित ग्रामीण रोजगार (सहायता)	—	5058549 : 0
4.	8884 विविध / इन्स / सुरक्षा / [illegible]	—	830233 : 0
5.	विधायक / स्थानीय / पार्षद	—	544484 : 0
6.	ग्रामीण 2225 कल्याण उप	—	556567 : 0
7.	स्वास्थ्य केन्द्र / पारिवारिक लाभ	—	313680 : 0
8.	उप / उप UP	—	80634 : 0
9.	बैंक ब्याज मद	—	23108 : 0
10.	2015 निर्वाचन / जनगणना / [illegible]	—	145857 : 0
11.	जिला योजना	—	67130 : 0
12.	2702 लघु सिंचाई	—	13785 : 0
13.	[illegible] / [illegible] / [illegible]	—	1294883 : 0
14.	PMGY / PMGY UP	—	100725 : 0
15.	NFBW योजना	—	शून्य
16.	ग्रामीण 2505 NREP	—	शून्य
17.	विधायक अनुदान	—	6503 : 0
18.	ग्रामीण 2515 ग्राम पंचायत	—	शून्य
19.	ग्रामीण 2225 स्वास्थ्य	—	16250 : 0
20.	बीआरजीएफ अनुदान / [illegible] / [illegible]	1604572 : 0	48028 : 0
21.	[illegible] / [illegible] / [illegible]	—	1002 : 0
22.	पेंशन ग्रुप / [illegible]	—	10704 : 0
23.	चतुर्थ वित्त आयोग	—	86003 : 0
	दैनिक जोड़ :-	1604572 : 0	6116656 : 51
	अन्त शेष :-	6116656 : 51	
	कुल जोड़ :-	7721228 : 51	7721228 : 51

मो० एकसठ लाख सोलह हजार छः सौ छप्पन रुपये इक्यावन पैसे मात्र

रोकड़पाल लेखापाल प्रखंड विकास पदाधिकारी

38

Account of 19.10.12 से 5.11.12

(Details of CB. 18.10.12)

1.	सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक कार्शिचक, खाता सं० -04	130846	00
2.	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक कार्शिचक, 32564	623665	36
3.	भारतीय स्टेट बैंक पारिसालीगंज, खाता सं० -533491	5280	00
4.	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, बिरौली " 345	84479	00
5.	पंजाब नेशनल बैंक मसौढ़ी, खाता सं० 26198	331	00
6.	सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक पारिसालीगंज खाता सं० 61	11879	00
7.	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, पारिसालीगंज खाता सं० 55540	56050	00
8.	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक कार्शिचक, खाता सं० 5262	839004	24
9.	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, कार्शिचक, खाता सं० 5375	82519	00
10.	पंजाब नेशनल बैंक मसौढ़ी खाता सं० 69954	76983	00
11.	पंजाब नेशनल बैंक मसौढ़ी " 69001	499481	00
12.	पंजाब नेशनल बैंक मसौढ़ी " 69985	6642	00
13.	ओ० बी० सी० बैंक पारिसालीगंज, खाता सं० -355	48405	00
14.	पंजाब नेशनल बैंक, पारिसालीगंज, खाता सं० -31067	94077	00
	बैंक में कुल जमा राशि -	25,55,338	60
	अग्रिम -	26,73,347	39
	~~अग्रिम~~ अग्रिम	4,27,984	00
	योग -	56,56,669	99
	अग्रिम विधायक योजना मद 2006 -	1700	00
	अग्रिम विधायक योजना - 2006 -	6300	00
	अग्रिम पंचायत निर्वाचन - 2006 -	~~62640~~	00
	अग्रिम विधान सभा चुनाव 10 -	62640	00
	अग्रिम विधान सभा चुनाव पुलिस बल -	53948	00
	अग्रिम पंचायत उपनिर्वाचन 2009 -	38400	00
	आपके द्वारा ली गई राशि -	99656	00
	एकहरी लाभ अग्रिम (18.9.12)	152136	31
	पासबुक के उपरान्त शेष राशी -	44586	21
	G.T. -	61,16,656	51

Account of 128

5/11/12

दिनांक 19.10.12 से 5.11.12 तक रोकड़ बही में कोई लेन देन नहीं किया गया है।

प्रखंड विकास पदाधिकारी
5/11/12

जिला पदाधिकारी नवादा के पत्रांक 3402 दिनांक 2.11.12 के आलोक में मैं कुमार अमित प्रखंड विकास पदाधिकारी, रोकड़ पंजी विवरणी के साथ प्रभार श्री ... प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया -

बैंक में राशि	- 25 65338.60	
अग्रिम	- 26 73 347.39	
अग्रिम	~~429984~~	427984.00
नाद -	24	
अग्रिम विधान सभा चुनाव 2006		1700.00
अग्रिम विधान सभा चुनाव 2006 -		6300.00
अग्रिम पंचायत निर्वाचन 2006 -		700.00
अग्रिम विधान सभा चुनाव 10 -		62640.00
अग्रिम विधान सभा चुनाव पुलिस बल -		53948.00
अग्रिम पंचायत उपनिर्वाचन		38400.00
योग		5820357.99

उपरोक्त प्रभार मैंने ग्रहण किया।

प्रभार प्राप्त किया।

प्रखंड विकास पदाधिकारी

(37)

(2)

128

CASH BOOK

...nt of

मैं [illegible] नाजिर कार्यालय अखंड [illegible] प्रभार [illegible]
साथ श्री मिथलेश कुमार नाजिर अखंड कार्यालय को निम्न
रूप से प्रभार सौंपा

बैंक में राशि –	2555338=60
अग्रिम में	2673347=39
अग्रिम	431984=00
नगद	[illegible]
अग्रिम [illegible] 06	1700=00
अग्रिम [illegible] 06	6300=00
अग्रिम [illegible] 2006	700=00
अग्रिम [illegible] 2010	62640=00
अग्रिम [illegible]	63948=00
अग्रिम [illegible]	18400=00
	58203571=97

[illegible] रुपये [illegible]
पैसे।

[illegible] 6/11/12

प्रभार देने वाले का हस्ताक्षर

[illegible]
[illegible]

अभिलेख एवं [illegible] सं० 53 [illegible] ([illegible]) एवं [illegible]
61 (C.C.B. [illegible]) को [illegible] प्रभार ग्रहण किया।

मिथलेश कुमार
[illegible]
6/11/12